

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा इकाटिड छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त हो जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था का नाम-संकेत पर निर्णय सरकार/देश के अनुकूल विरोध एवं सम्बद्धता मुक्त जगह करण होगा।
- ✓ संस्था को एम्प्लॉयी/सीटिंग/0 में आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाने को शिक्षा/विभाग/अतिरिक्त/शासन/देशों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राथमिक शिक्षा/उच्चतर/संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, राज्य/समा पाठ्यिक शिक्षा परिषद, उच्चतर द्वारा बनाने पर निर्माण, निर्माण, आदेश, निर्देशक का पालन करने के लिए कार्य होगा।
- ✓ दिप्तांक ही नाम/सीटिंग/पाठ्यक्रम को सम्बन्ध यदि किसी/आई, आई दिप्तांक से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संकेत में सम्बन्ध उत्तर/प्राथमिक संस्था बन होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था द्वारा उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई भी कार्य/विभाग/अज्ञात है तथा कार्य/कार्य के संकेत में का सम्बन्ध द्वारा निर्माण प्रवेश की प्रतिक्रिया/संकेत/आदेश निर्देशक/किन्हीं जाते है तो सम्बन्ध प्रतिक्रिया/संकेत/संस्था को करनी होगी।
- ✓ दिप्तांक ही नाम/सीटिंग/पाठ्यक्रम सम्बन्ध करने वाली संस्थाओं का संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिक्रिया करने के लिए सम्बन्धित प्रवेश परीक्षा हेतु का/विशेष प्रवेश होने को आई/सीटिंग/आई/सी अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को सम्बन्ध/करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की [काउन्सिलिंग] के सम्बन्ध से अथवा संस्था उत्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्णय/निर्णय/कार्य/विभाग का अनुमोदन करण आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था का अपने संयुक्त/पर संस्था को सम्बन्ध/सूचनाएं/जैसे संस्था को/प्रतिक्रिया/पृथिवी/सम्बन्ध, सम्बन्ध-सम्बन्ध, सम्बन्ध, प्रवेश किया जाने वाला शुल्क/छात्र/कार्य/शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त/व्यवस्था/उपलब्ध करने के साथ/संकेत/शिक्षण के सम्बन्ध में सम्बन्ध आवश्यक/कार्य/विधि/करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/राज्य/प्राथमिक/पाठ्यक्रम को चलाने/जाने हेतु/विशेष/प्राथमिक को/कार्य/उपलब्ध/करने/के/लिए/सम्बन्ध/सूचना/सम्बन्ध/कार्य/विभाग/इत्यादि/का/अदि/सम्बन्ध/द्वारा/किया/उच्च/पाठ्यक्रम/के/सम्बन्ध/में/कराने/विशेष/करना/है/और/परिषद/का/इत्यादि/सम्बन्ध/करनी/है/कि/संस्था/कार्य/विभाग/का/कार्य/किसी/जगह/करने/के/लिए/कर/रही/है/तो/सम्बन्ध/संस्था/को/सम्बन्ध/करना/करने/जाने/की/आवश्यकता/की/जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित/प्रती/का/अनुमोदन/न/किया/जाने/जबकि/सभी/का/उत्तर/किया/जाने/की/स्थिति/में/नियमानुसार/अनुमोदन/कार्य/करनी/है/की/जायेगी।

(राजीव कुमार सिंह)
सचिव

पृष्ठ संकेत- प्राथमिक/परिषद/सम्बन्ध/2019/1130-2252 सद्व दिनांक: 15-5-2019
प्रतिलिपि: प्रधानाचार्य/निदेशक, एम्प्लॉयी/सीटिंग/0 आफ फ़ैनेल/मैट एण्ड टेक्नोलॉजी, गाम्प/उच्चतर, लखनऊ।

(राजीव कुमार सिंह)
सचिव

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिम/परिषद सम्बद्धता/2020/1071

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय राजकीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी फाउण्डेशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-02 में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं को प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा चर्चा-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

'निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित करने वाली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएँ, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु मर्यादा अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रस्ताव अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।'

दिनांक 14-08-2020 को अखिल सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उत्तरों अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0 / द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित संस्था	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2208	एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी गान्धी-शास्त्रदेव, लखनऊ।	सिडिफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	60 60 60	60 60 60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनाली 1992, सेमेस्टर विनियमनाली-2016 तथा अन्य निर्धारित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-15,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सतत रूप में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार धरणीगती किया जाय आकरवाक होगा। फॉस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फॉस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फॉस की नवीनता पर लागू होगी।
- ✓ संस्था का (उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप सभितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमनाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सौटी के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश को कार्यवाही की जायेगी।

(Handwritten Signature)

- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनव्यवस्था के अनुसार निरीक्षण एवं सम्यक्ता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/आधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद २०२० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये वाध्य होगी।
- ✓ दिल्लीमा इन कार्मेशी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि फो.सी.आई. आई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में अक्षम रहती हैं तो इन संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय उत्तर प्रदेश शासन को कोई बचत दावा किया जाता है। संबंधित दावा के संबंध में भा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ दिल्लीमा इन कार्मेशी पाठ्यक्रम संघानिता करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा-परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश्य धर्म के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग करने होने के पूर्व ए०आई०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय भी उपलब्ध कराना होगा अथवा उन्हें अवेद की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु निर्गत नवीनराम आस्था नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने देववाहद पर संस्था की संशक्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त शिक्षा जाने वाला शुल्क, छात्रावस्था शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध बनाने में साथ सैनिक संकलने का सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संघानित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अगिलेख, भूमि-स्वतन्त्र, कर्मचर, उपाकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपयोग का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्यक्ता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ समावेशन शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

(शा० अर०के० सिंह)
सचिव

पू०सं०- प्राशिम/परिषद सम्बन्धिता/2020/ 1972-3141

तारखिनांक: 15-09-2020

प्रतिलिपि:-प्रधानाचार्य/निदेशक, एम०जी० इस्टीट्यूट ऑफ मेमेसामेन्ट ट्रस्ट टेक्नोलॉजी, गान-खण्डदेव, लखनऊ।

(शा० अर०के० सिंह)
सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2288-M G INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY ,VILLAGE KHANDEDEV, LUCKNOW

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021- 22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45060.60/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी

होगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उ०प समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)


सचिव

पृ०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, M G INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, VILLAGE
KHANDEDEV, LUCKNOW



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव